0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांकः–कु0स0–2सी.समिअ / 1966 / विद्यापरि0बैठक 04–3 / 2014 दिनांकः– 01 फरवरी, 2014

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 31.01.2014 का कार्यवृत्त

डॉ0भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में कुलपति जी की अध्यक्षता में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 31.01.2014 को सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1.	डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0मंजुला चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय (विभागाध्यक्ष–ललितकला, मंचकला, उर्दू एवं प्रभारी–पुस्तकालय विज्ञान)	सदस्य
3.	प्रो0सत्येन्द्र नाथ चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
4.	प्रो0लक्ष्मी दूबे, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय	सदस्य
5.	प्रो0कृष्ण कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध0 संकाय	सदस्य
6.	प्रो0कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र संकाय	सदस्य
7.	डॉ0सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
8.	प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय (विभागाध्यक्ष–कम्प्यूटर एवं विज्ञान अनुप्रयोग, गणित एवं सांख्यिकी विभाग)	सदस्य
9.	डॉ0समरजीत सिंह,(कृषि सांख्यिकी), संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय (श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया)	सदस्य
10.	प्रो0रणधीर प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
11.	प्रो0अवधेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
12.	प्रो0उमारानी त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग	सदस्य
13.	डॉ0सभाजीत सिंह यादव, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	प्रो0अनिल कुमार उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग	सदस्य
15.	प्रो0मुन्नी लाल राम, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
16.	प्रो0रविप्रकाश पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
17.	प्रो0ए0एन0 सिंह, विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग	सदस्य
18.	प्रो0राम प्रकाश द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, गांधी अध्ययनपीठ	सदस्य
19.	प्रो0सुरेश कुमार कानोडिया, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग	सदस्य
20.	डॉ0सुशील कुमार गौतम, विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
21.	प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हि0पत्र0सं0	सदस्य
22.	श्री उमानाथ श्रीवास्तव, (मध्यकालीन इतिहास), प्राध्यापक, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महा0, बड़ागांव, वाराणसी।(सेवानिवृत्ति की तिथि 16.01.2015 तक)	सदस्य
23.	डॉ0अनिल कुमार गुप्ता, वनस्पति विज्ञान, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महा0, बड़ागांव, वाराणसी। (सेवानिवृत्ति की तिथि 13.03.2014 तक)	सदस्य
24.	डॉ0पद्‌माकर सिंह, सैन्य विज्ञान, कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
25.	डॉ0अशोक कुमार सिंह, कृषि रसायन, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
26.	डॉ0सत्या नन्द गुप्त, कृषि अर्थशास्त्र, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
27.	डॉ0प्रकाश नारायण चौबे, कृषि प्रसार, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य

28.	डॉ0शैलेन्द्र विक्रम सिंह, उद्यान विज्ञान, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
29.	डॉ0इन्द्र प्रताप सिंह, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
30.	डॉ0सन्तोष सिंह, शस्य विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी।	सदस्य
31.	डॉ0ओम प्रकाश सिंह, आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0,बलिया। मो0–9453471268, 05498240828	सदस्य
32.	डॉ0देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, कृषि सांख्यिकी, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया। (सेवानिवृत्ति की तिथि 24.11.2015 तक)	सदस्य
33.	प्रो0अवध नारायण दूबे, राजनीतिशास्त्र विभाग	सदस्य
34.	प्रो0श्रीनिवास ओझा, संस्कृत विभाग	सदस्य
35.	प्रो0प्रदीप कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
36.	प्रो0अशोक कुमार सिंह, इतिहास विभाग	सदस्य
37.	प्रो0अशोक कुमार मिश्र, वाणिज्य विभाग	सदस्य
38.	प्रो0कृपाशंकर जायसवाल, वाणिज्य विभाग	सदस्य
39.	प्रो0राजीव द्विवेदी, इतिहास विभाग	सदस्य
40.	प्रो0श्रीमन् पाण्डेय, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
41.	प्रो0शशि देवी सिंह, दर्शनशात्र विभाग	सदस्य
42.	प्रो0रामचन्द्र पाठक, समाजकार्य विभाग	सदस्य
43.	प्रो0मल्लिका चतुर्वेदी, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
44.	प्रो0धर्मनाथ सिंह, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
45.	प्रो0दिवाकर लाल श्रीवास्तव, इतिहास विभाग	सदस्य
46.	प्रो0अजीत कुमार शुक्ला, वाणिज्य विभाग	सदस्य
47.	डॉ0सत्य प्रकाश सिंह, अमरनाथ मिश्र स्ना0महा0, दूबे छपरा, बलिया।	सदस्य
48.	डॉ0पंचदेव सिंह, देवेन्द्र स्ना0महा0, बिल्थरा रोड, बलिया।	सदस्य
49.	डॉ0अशोक कुमार पाण्डेय, सुदृष्टि बाबा स्ना0महा0, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया।	सदस्य
50.	डॉ0कृष्णदत्त मिश्र, उपाचार्य, संस्कृत विभाग(सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2014 तक)	सदस्य
51.	डॉ0राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मनोविज्ञान विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक)	सदस्य
52.	डॉ0विभूति नारायण मिश्र, मनोविज्ञान विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक)	सदस्य
53.	डॉ0हरेन्द्र प्रताप सिंह, राजनीतिशास्त्र कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महा0, बलिया। (सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2014 तक)	सदस्य
54.	डॉ0राजेश पाल, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग (23.07.2013 से 22.07.2014 तक)	सदस्य
55.	डॉ0बटुक प्रसाद सिंह, प्राध्यापक, गणित विभाग (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2014 तक)	सदस्य
56.	डॉ0राजमुनि, हिन्दी विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक)	सदस्य
57.	डॉ0बालेश्वर प्रसाद यादव, दर्शनशास्त्र विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक)	सदस्य
58.	डॉ0 सोहन लाल यादव, वाणिज्य, श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी। (01.07.2013 से 30..06.2014 तक)	सदस्य
59.	डॉ0राजेन्द्र प्रसाद सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय	सदस्य
60.	श्री शिवराम, पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ0 भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय	सदस्य
61.	डॉ0 साहब लाल मौर्य, कुलसचिव	सचिव

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गये–

बिन्दु सं0(01):– विद्यापरिषद् की गत् बैठक दिनांक 26.11.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 26.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृतकार्यवाही की सूचना।

निर्णयः– परिषद् ने विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 26.11.2013 के कार्यवृत्त को, कार्यवृत्त के पूरक कार्यसूची के बिन्दु संख्या– 02 के निर्णय को छोड़कर निम्न संशोधनों के साथ पुष्ट किया और कृतकार्यवाही की सूचना को अंकित किया–

1. बिन्दु सं0–05 में अंकित वाक्य ''वरीयता के आधार पर'' विलोपित किया जाय।

2. बिन्दु सं0–05 के निर्णय में ''विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा 2010 के आधार पर शोध में प्रवेश हेतु छात्रों को अन्तिम अवसर 31 जुलाई 2014 तक प्रदान किया जाय।''

इसी तरह विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 26.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं कृतकार्यवाही की सूचना को अंकित किया।

बिन्दु सं0(02):– विद्यापरिषद् की गत् बैठक दिनांक 26.11.2013 के पूरक कार्यसूची के बिन्दु संख्या–02 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार–

बिन्दु सं0(02):– *श्री बृजेश कुमार सरोज(अनुसूचित जाति), सुश्री रेखा कुमारी(अनुसूचित जाति) का इतिहास विभाग में शोध पंजीकरण हेतु अवैध ढंग से इतिहास विभाग द्वारा शुल्क जमा कराये जाने के प्रकरण के साथ ही इस सदृष्य अन्य प्रकरणों पर विचार।*

निर्णयः– *श्री सुधांशु कुमार सिंह द्वारा इतिहास विभाग में सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में शोध पंजीकरण में हुई अनियमितता सम्बन्धी राजभवन को की गई शिकायत के क्रम में प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति तथा प्रो0ओम प्रकाश सिंह, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान की अध्यक्षता में गठित उत्तरदायित्व निर्धारण समिति में पाये गये अनियमित रूप से शोध पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों का शुल्क जमा कराया पाया गया जिसकी सूचना राजभवन को भेजी गई। इन्हीं अनियमित रूप से पंजीकृत कुछ छात्रों यथा श्री आलोक कुमार राय, रेखा कुमारी, रविकान्त यादव, विजय कुमार सरोज, शैलपुत्री गुप्ता आदि ने मा0उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिका दाखिल किया। मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया और धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से शोध में पंजीकरण हेतु शुल्क जमा को अवैध मानते हुए प्रकरण को निस्तारित किया। इन्हीं अनियमित शोध हेतु पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। कुलसचिव द्वारा परिषद् को उपर्युक्त तथ्यों से अवगत कराया गया।*

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर छात्रहित में यह निर्णय लिया कि सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में अनियमित रूप से शोध पंजीकरण हेतु जमा कराये गये अभ्यर्थियों का शोध कार्य पूर्ण/नियमित कराये जाने के लिए महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त किया जाय।

निर्णयः– उक्त प्रकरण पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री विवेक वर्मा की विधिक राय दिनांक 21.01.2014 के आलोक में परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त यह संज्ञान में लेते हुए कि प्रकरण मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा चूँकि अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। अतः परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय

से अनुमति प्राप्त किया जाना विधि संगत न होगा। अतः विद्यापरिषद के पूर्व निर्णय को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसी क्रम में विद्यापरिषद् के मा0अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि इतिहास विभाग की सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में अनियमित रुप से शोध कार्य हेतु पंजीकृत सर्वश्री पवन कुमार, तनय मलिक एवं मल्लिका वर्मा को शोध उपाधि प्रदान किया गया है तथा इसे वापस लिया जाय।

विद्यापरिषद् के मा0सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय के उक्त विचार से सहमति प्रदान की गई तथा उक्त तीनों छात्रों को प्रदान की गई शोध उपाधि को नियमानुसार वापस लेने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(03):– उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–1366/सत्तर–1–2013–16(114)/2010टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010(मुख्य विनियम) के अनुसंलग्नक की धारा 6.1.0 एवं 6.0.2 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 13.06.2013 में प्रस्तावित संशोधन के उक्त प्राविधानों को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णयः– उक्त प्रकरण पर परिषद् ने सम्यक् विचरोपरान्त प्रस्तावित संशोधनों के उक्त प्राविधानों के विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित करने का निर्णय लिया–

1. प्रो0आर0पी0सिंह, अध्यक्ष, अग्रेजी विभाग – अध्यक्ष
2. डॉ0अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी रानीगंज, बलिया। – सदस्य
3. डॉ0वन्दना सिन्हा, समाजकार्य विभाग – सदस्य
4. डॉ0बालेश्वर प्रसाद यादव, प्राध्यापक दर्शनशास्त्र विभाग – सदस्य
5. डॉ0राजेश पाल, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग – सदस्य

उक्त समिति अपनी आख्या शीघ्र ही कुलपति महोदय को उपलब्ध करायेगी।

बिन्दु सं0(04):– प्रो0अशोक कुमार सिंह, इतिहास विभाग द्वारा इतिहास विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा 2010 के आधार पर प्रतीक्षासूची में अंकित छात्रों से इतर शोध कार्य(कार्स वर्क) में पंजीकरण करने सम्बन्धी शिकायत के क्रम में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.08.2013 के बिन्दु संख्या–05(अध्यक्ष की अनुमति से) में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रो0कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः– विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.08.2013 के बिन्दु संख्या– 05(अध्यक्ष की अनुमति से) में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रो0कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन से परिषद् अवगत हुई। जाँच समिति के प्रतिवेदन के विनिश्चय के क्रम में इतिहास विभाग में द्वितीय काउंसिलिंग में 12 छात्रों को सम्बद्ध महाविद्यालयों की रिक्त सीटों के सापेक्ष शोध कार्य हेतु पंजीकृत कराया जाय, पर परिषद् ने सहमति प्रदान किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

बिन्दु सं0(01):— विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.08.2013 के अध्यक्ष की अनुमति के बिन्दु संख्या—01 में लिये गये निर्णयानुसार श्री राघवेन्द्र शंकर मिश्र के शोध पंजीकरण के प्रकरण की जांच हेतु गठित जांच समिति के प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2013 को परिषद् ने संज्ञान में लिया। चूँकि प्रकरण मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निस्तारित किया जा चुका है, अतः अब विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः विचार करने का विधिक दृष्टि से औचित्य न होने के कारण प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(02):— डॉ0देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं डॉ0अशोक कुमार सिंह, मुरली मनोहर टाउन स्ना0महा0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि मुरली मनोहर टाउन स्ना0महा0, बलिया में एम0एस—सी0कृषि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित होने के कारण स्नातक कृषि के प्राध्यापकों को अध्ययन परिषद्, मूल्यांकनों तथा मौखिकी आदि से वंचित किया जाता है। परिषद् ने प्रकरण को संज्ञान में लेते लेते हुए प्रो0कुष्ण कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय को उक्त विषय पर वृहद आख्या कुलपति महोदय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

डॉ0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

* * * *